न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेड़ा जिला–भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:– रजनी माधीवाल, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर–19/2017 राजस्व वाद

अनवान

1–श्री हजारी पिता उमा बलाई निवासी सरेडी (बनी का वाडिया) तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।

2–श्री जग्गू पिता उमा बलाई निवासी सरेडी (बनी का वाडिया) तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।

----वादीगण।

बनाम

1–राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा (राज0)

2–राजस्थान राज्य जरिये अति0 तहसीलदार साहब करेड़ा तहसील माण्डल

--प्रतिवादीगण।

उपस्थित:–

!–श्री अब्दुल रसीद पठान — अधिवक्ता वादी।

2–पेराकार सरकार — अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

वाद पत्र अन्तर्गत 88–89–188रा0का0अधिनियम

बाबत घोषणा,इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय — दिनांक 26.06.2018

प्रकरण मे संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा दिनांक 19.07.2010 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल के यहां वाद पत्र अन्तर्गत 88–89–188रा0का0अधिनियम बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश किया। वाद पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को विधिवत नोटिस जारी किये गये जो बाद तामील प्राप्त होकर शामिल मिसल किये गये। प्रकरण इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे आ जाने से इस न्यायालय मे स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुआ जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर संबंधित पक्षकारान / उनके अधिवक्ता को सुनवाई तारीख हेतु सूचित किया गया। प्रकरण मे प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा पेश नही किये जाने से आदेशिका दिनांक 16.03.12 के अनुसार जवाब का अवसर बद किया गया। पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई। दिनांक 2.11.2016 को एकतरफा कार्यवाही के विरूद्ध दो–तरफा कार्यवाही हेतु प्रतिवादीगण द्वारा निवेदन किया जाने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा रेकार्ड पर लिया गया।

पत्रावली केम्प भभाणा पर न्याय आपके द्वार–2018 राजस्व लोक अदालत के तहत प्रस्तुत की गई। पत्रावली का अवलोकन एवं मनन किया गया । वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 19.07.2010 के अनुसार ग्राम सरेडी की आ0नं0 भू प्रबंध पूर्व 153 रकबा 7.01बीघा का एक ही चक था जिसकी सिंचाई वादीगण के पिता आ0नं0 152 मे स्थित कुआ आ0नं0 369/152 के कुए से सिंचित करते थे। कुआ स0 2008 की जमाबंदी मे बलाईयों का खाडा बसर नंबर 187 पेज नंबर 62 मे दर्ज था से करते थे। वादी के पिता की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी वादीगण होने से उक्त वादग्रस्त भूमि/कुए का निरन्तर उपयोग / उपभोग करते आ रहे है। सेटलमेन्ट के दौरान वादीगण के पिता की आराजी 153 जिसके नये नंबर 639 रकब 1.15 बीघा, आ0नं0 650 रकबा 0.11बीघा, आ0नं0 652 रकबा 0.03बीघा, आ0नं0653 रकबा 1.08बीघा, आ0नं0 654 रकबा 2.02बीघा,आ0नं0 655 रकबा 1.01बीघा कुल किता 6 रकबा 6.02बीघा नवीन नंबर कायम किये गये जो मिलान सीट मुताबिक वादीगण के नाम खाता सं0 135 मे दर्ज दौराने सेटलमेन्ट आ0नं0 651 के बीच मे रास्ता कायम कर दिया गया तथा आ0नं0 369/152 को उसमें मिला दिया गया और उसके नये नक्श कायम नही करके विलोपित कर दिया गया जबकि सेटलमेन्ट से पूर्व की जमाबंदी मे चाह पुख्ता एक

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर, करेड़ा

Scanned by CamScanner

लावा जारी पानी कम तथा चाह 2 लावा पक्का गैरजारी पानी मौला 32 हाथ अंकन किया हुआ है। वर्तमान में उक्त कुए से आ0नं0 653,654एवं 655 सिंचित होती है।

संक्षेप मे वादपत्र मुताबिक दौराने सेटलमेन्ट वादीगण के पिता के नाम आ0नं0 153 को विभाजित कर तथा 651 में रास्ता कायम कर उसम आ0नं0 369/152 कुआ दर्ज कर दिया जो विधिविरूद्व है।

उक्त अशुद्वि को शुद्व कराने हेतु वादीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता दिनांक 13.05.2010 को प्रतिवादीगण को धारा 80 जा0दी0 का नोटिस दिया गया परन्तु समस्या का निराकरण नहीं होने से वादीगण को वाद पत्र पेश उपरोक्त धाराओ के अन्तर्गत अनुतोष चाहा गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण सं0 2 राज्य पक्ष की ओर से प्रस्तुत जवाबदावे का अवलोकन किया तो जाहिर आया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत कलम स0 01 दुरूस्त है। परन्तु मुताबिक राज्य पक्ष द्वारा जवाबदावा के अनुसार आ0नं0 135 मे आ0नं0 639 र कवा 1.15 बीघा वादीगण के नाम दर्ज नही तथा वादपत्र मे बताई गई भूमि 6.02 बीघा भूमि न होकर भूमि का योग 7.00बीघा होता है। वादीगण द्वारा गलत तथ्य पेश किये गये है। आ0नं0 651 किस्म रास्ता कायम करना अंकित करते हुये साबिक आ0नं0 369/152 को उसमे मिलाना बताया गया जो गलत है। आ0नं0 153 के पास भी साबिक आ0नं0 152 रास्ता दर्ज था जिसके हाल आ0नं0 भी 651 ही दर्ज है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र की चरण सं0 2 मे चाह के संबंध में अंकित अन्य तथ्य उपलब्ध रेकार्ड से साबित नहीं होने के कारण वादीगण का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से विरूद्व प्रतिवादीगण वाद पत्र खारिज किये जाने के आदेश प्रदत्त किये जाते है।

:: आदेश ::

वादीगण का वाद पत्र विरूद्व प्रतिवादीगण अस्वीकार किया जाकर खारिज किये जाने से वादपत्र की चरण सं0 1 लगायत 3 मे अंकित आरजियात संबंधी कोई अनुतोष देय नही है। तदनुसार डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार करेड़ा को लिखा जावे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर कम होकर फैसल शुमार हो।

निर्णय आज दिनांक 26/06/2018 को मुकाम भभाणा पर न्याय आपके द्वार अभियान-2018 के अन्तर्गत राजस्व लोक अदालत शिविर मे खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रजनी माधीवाल)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर करेड़ा

Scanned by CamScanner